24/11/25

बहुलाप लगातार उपस्थित। वादिया
ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन
किया कि हम पक्षकारों के आपसी
राजीनामा हो गया। इसलिए इस
वाद का डिक्री कर पत्र विड्र
करने अनुमति दी जावे। वादिया की
पहचान उनके अधिवक्ता ध्वारिका
बेरवाल के बीएसी वादिया को
सुना गया। अतः वाद वादिया द्वारा
कर पत्र विड्र कर खारीज किया
जाता है। [illegible]
हो।

अ.नि.
बनारसी देवी
पहचानकर्ता
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:58:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं